

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष एम० के० सिंह

सदस्य १८१-२१६

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1842-एक/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 25-05-2016 पारित
द्वारा नायब तहसीलदार छिन्दवाडा प्रकरण क्रमांक 04-अ-70/2015-16 अपील.

राकेश पिता भाउराव सेमेकार

निवासी -लोनिया करवल नई सब्जी मण्डी के सामने

छिन्दवाडा, तहसील व जिला- छिन्दवाडा म०प्र० ————— आवेदक

विरुद्ध

1. रानल नेमा पिता अजंय कुमार नेमा
निवासी - वार्ड न०-६, पौर्स्ट ऑफिस के पास अमरवाडा,
तहसील- अमरवाडा जिला- छिन्दवाडा म०प्र०
2. मध्यप्रदेश शासन ————— अनावेदकगण

श्री ए०के० अग्रवाल , अभिभाषक , आवेदक की और से
श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक क-१ की और से
श्री बी०एन०त्यागी पैनल अभिभाषक अनावेदक क-२ की और से

आ दे श

[आज दिनांक ४ -७-2016 को पारित]

आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार छिन्दवाडा द्वारा प्रकरण क्रमांक 04-अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25-05-2016 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गयी है।

2/- प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र मोजा लोनिया करवल प०८० न०-१२ राजस्व निरीक्षक छिन्दवाडा-२ की प्लॉट भूमि खसरा न 289/३ रकबा 0.009 हेक्टेयर भूमि है में से आवेदक द्वारा 12x80 रकबा कुल 960 वर्गफुट पर अवैध कब्जा किये जाने के कारण नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदक के आधिपत्य को हटाये जाने हेतु संहिता की धारा- 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा प्रकरण की प्रचलनशिलता के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की

P/
1x

गयी। नायब तहसीलदार द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण न किया जाकर विवादित आदेश पारित करने के कारण यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3/- आवेदक की और से अभिभाषक श्री ए० के० अग्रवाल द्वारा पुनरीक्षण ज्ञापन में वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त अपने तर्कों में बताया कि आवेदक द्वारा 288/2, 288/5,288/6 पंजीकृत विक्य पत्र के जर्ये वर्ष 30-12-1986, 14-05-1990 एवं 11-04-1991 को कथ की थी तब से विक्य पत्र के जर्ये वर्ष 31-03-1993 को कराया था। आवेदक द्वारा किसी भूखण्ड पर अवैध आधिपत्य नहीं दिनांक 31-03-1993 को कराया था। आवेदक द्वारा किसी भूखण्ड पर अवैध आधिपत्य नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के प्रचलनशिलता के सम्बन्ध में स्पष्ट आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी कि तहसील न्यायालय को ऐसी भूमि जो कि डायर्टड है तथा कृषि भूमि नहीं है उस पर संहिता की धारा -250 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसी भूमि पर संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में यह भी बताया गया कि 250 के प्रावधान नहीं होते हैं क्योंकि वर्तमान प्रकरण में अनावेदक को उन तत्वों को बताना इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि वर्तमान प्रकरण में अनावेदक को उन तत्वों को बताना आवश्यक था जो 250 के प्रावधानों को लागू करने हेतु आवश्यक है तहसील न्यायालय द्वारा आवश्यक था जो 250 के प्रावधानों को लागू करने हेतु आवश्यक है तहसील न्यायालय द्वारा किस प्रकार सीमांकन किया गया यह अपने आप में संदिग्ध है इस सम्बन्ध में उनके द्वारा किस प्रकार सीमांकन किया गया यह अपने आप में संदिग्ध है इस सम्बन्ध में उनके द्वारा यह निगरानी स्वीकार किये जाने के अन्तर्गत तर्कों के आधार पर उनके द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत किये गये हैं। उपरोक्त तर्कों के आधार पर उनके द्वारा यह निगरानी स्वीकार किये जाने के अन्तर्गत तहसील न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।


4/- अनावेदक कमांक-1 के अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में यह बताया गया कि तहसील न्यायालय से दिनांक 31-05-2016 को अंतिम आदेश हो चुका है अतः यह निगरानी व्यर्थ हो जाने से इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का अनुरोध किया।

5/- अनावेदक कमांक-2 शासन की और से पैनल अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित होना बताया।

6/- आवेदक अभिभाषक द्वारा जवाब में बताया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश के पश्चात अनावेदक को लाभ देने के उददेश्य से बेक डेट में अंतिम आदेश पारित किया गया है। उससे यह निगरानी निर्धारक नहीं होती है यदि अंतिम आदेश उनके द्वारा 2011 रेवेन्यू निर्णय पृष्ठ 310 दुर्गाप्रसाद विरुद्ध घनश्याम का न्यायदृष्टान्त प्रस्तुत किया। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1978 जे०एल०जे० 769 में स्थापित विधि का भी अवलोकन कराया।

7/- प्रकरण मे उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा उनके समक्ष लंबित प्रकरण की प्रचलनशिलता के सम्बन्ध में स्पष्ट आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जबकि विधि का यह सुरक्षापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायालय को सर्वप्रथम उसके समक्ष प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण करना चाहिए। ऐसा न करने में तहसील न्यायालय ने गंभीर भूल की है। आवेदक अभिभाषक द्वारा उठाये गये तर्कों में बल है कि संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत उन्हीं भूमि पर कार्यवाही की जा सकती है जब भूमि कृषि योग्य हो वर्तमान प्रकरण में स्पष्ट है कि भूमि पर दुकान एवं मकान आदि निर्मित हैं। ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। आवेदक द्वारा सीमांकन की अवैधता को भी दर्शाते हुए जो नक्शा न होने सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं उससे यह स्पष्ट है कि जब नक्शा ही उपलब्ध नहीं है तो किस आधार पर सीमांकन किया गया यह स्पष्ट नहीं है। जहाँ तक अनावेदक अभिभाषक महोदय का यह तर्क की नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण में दिनांक 31-05-2016 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है अतः अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत यह निगरानी व्यर्थ हो जाने से समाप्त किये जाने योग्य है उचित नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1978 जे०एल०जे० 769 एवं राजस्व मण्डल द्वारा 2011 रेवेन्यू निर्णय 310 में रक्षापित विधि के अनुसार यदि अंतरिम आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण लंबित है इस बीच यदि अंतिम आदेश पारित हो जाता है तब यदि अंतरिम आदेश यदि आपस्त किया जाता है तब पुनरीक्षण व्यर्थ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अनावेदक का यह तर्क अमान्य किया जाता है।

8/- उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार छिन्दवाडा द्वारा प्रकरण क्रमांक 4-अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25-05-2016 एवं उसके पश्चात की समस्त कार्यवाही एवं आदेश निरस्त किये जाते हैं। तथा यह निगरानी रखीकार की जाती है। यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 1581-एक/2016 पर भी लागू होगा। इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में साथ रखी जाये।



[एम० क० सिंह]

सदस्य

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

गवालियर